

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)**

No. 2016/TG-I/20/P/3/Transgender

New Delhi, Dated 17.10.2017

**Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

**General Manager/PRS, CRIS,
Chanakyapuri, New Delhi.**

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 70 of 2017)

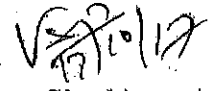
Sub: Modification in reservation/cancellation requisition form.

Please refer to this office letter no. 2011/TG-I/20/P/R.Form dated 04.11.2016 (Commercial Circular no. 57 of 2016), wherein it was advised to include the transgender option as Transgender (Male /Female) alongside Male/Female in reservation/cancellation requisition form.

2. The issue regarding issuing of certificate to the Transgender as Male/Female was taken up with Ministry of Social Justice & Empowerment, who has informed that the bill "The Transgender Person (Protection of Rights) Bill 2016" has been referred to Standing Committee on Social Justice and Empowerment for examination and to make a report.

2.1 In view of above and on receipt of a Writ Petition no. 24798(W) of 2017- Atri Kar vs. Union of India & Others filed in the High Court of Calcutta, the matter has been reviewed and it has been decided that till such time the detailed modalities on this account are finalised by the Ministry of Social Justice, a provision may be made in the system to capture the gender of Transgender as "T" instead of T(M/F) as advised earlier. There will, however, be no change in the reservation/cancellation requisition form for the time being.

3. CRIS will make necessary changes in the software for giving the option of Transgender (T) alongside the option of Male/Female (M/F) in PRS as well as in online reservation system under intimation to all zonal Railways as well as this office.



(Vikram Singh)

**Director Passenger Marketing
Railway Board**

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House,Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi:
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2016/टीजी-1/20/पी/3/ट्रांसजेंडर

नई दिल्ली, दिनांक 17.10.2017

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

महाप्रबंधक/पीआरएस, क्रिस
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 70)

विषय: आरक्षण/रद्दकरण मांग-पत्र में संशोधन करना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 04.11.2016 के पत्र सं. 2011/टीजी-1/20/पी/आर.फॉर्म (2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 57) का अवलोकन करें, जिसमें आरक्षण/रद्दकरण मांग-पत्र में पुरुष/स्त्री के साथ ट्रांसजेंडर (पुरुष/स्त्री) के रूप में ट्रांसजेंडर विकल्प को शामिल करने के लिए सूचित किया गया था।

2. ट्रांसजेंडर को पुरुष/स्त्री के रूप में प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित मामले पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से परामर्श किया गया, जिसने यह सूचित किया है कि "ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016" बिल की जांच करने और इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया है।

2.1 उपर्युक्त को देखते हुए और कोलकाता, उच्च न्यायालय में दाखिल 2017 - अत्रि कार बनाम भारत सरकार एवं अन्य की रिट याचिका सं. 24798(डब्ल्यू) के प्राप्त होने पर इस मामले की समीक्षा की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा इससे संबंधित विस्तृत कार्यपद्धति को अंतिम रूप दिए जाने तक, पहले सूचित किए गए अनुसार टी(एम/एफ) के बदले "टी" के रूप में ट्रांसजेंडर के लिंग की प्रविष्टि करने के लिए सिस्टम में प्रावधान किया जाए। बहरहाल, आरक्षण/रद्दकरण मांग-पत्र में फिलहाल, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

3. क्रिस द्वारा पीआरएस एवं ऑन-लाइन आरक्षण प्रणाली में पुरुष/स्त्री (एम/एफ) के विकल्प के साथ ट्रांसजेंडर (टी) विकल्प का प्रावधान करने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा और सभी क्षेत्रीय रेलों के साथ-साथ इस कार्यालय को सूचित किया जाएगा।

ह.

(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

-2/-

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ(सी), निदेशक,एफ(सी), प्रमुख निजी सचिव/ वित्त आयुक्त, वि का अधिकारी/टीसी, एफ(सी) व सतर्कता (एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3. एम डी/आईआरसीटीसी, 148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली/धनवाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (आईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71.
